

राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0जयपुर।
कमांक: ई-26/राजप/पीजी-2013/2013/


दिनांक :

—: कार्यालय-आदेश :—

निर्देशानुसार निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित तिथि के अनुसार एतद् द्वारा अध्ययन/असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	चिकित्सक का नाम	अध्ययन/असाधारण अवकाश अवधि
1.	डॉ. नितेश कंवर शेखावत	दि0 02.03.2012 से 30.05.2014 तक (अध्ययन अवकाश)
2.	डॉ. नवीन भड़ाना	दि0 25.06.2012 से 24.06.2014 तक (अध्ययन अवकाश)

यह अध्ययन अवकाश उन्हीं चिकित्सकों हेतु मान्य होगा, जिनका पी0जी0 में चयन सेवारत कोटे के तहत हुआ है तथा जिन्होंने पूर्व में सेवारत कोटे के तहत पी.जी. करने का लाभ नहीं लिया है।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0जयपुर।

कमांक: ई-26/राजप/पीजी-2013/2013/258

दिनांक: 31/10/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान दिश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. सेंट्रल सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर डालने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0जयपुर।